संo– 883 /उन्तीस(2)/05–2(139पेo)/2006

प्रषक,

कुँवर सिंह
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पेयजल अनुभाग– 2 देहरादूनःदिनांकः18जून, 2007

विषयः प्रदेश में पेयजल संकट के समाधान हेतु 700 नये हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु प्रशासकीय एंव वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

प्रदेश में वर्तमान में ग्रीष्म ऋतु में चल रहें गम्भीर पेयजल सकंट के समाधान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में प्रदेश की 70 विधान सभाओं हेतु 10 हैण्डपम्प प्रति विधान सभा की दर से कुल 700 नये हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु अनुo लागत रूo 1021.00 लाख (रूo दस करोड इक्कीस लाख) की कार्ययोजना स्वीकृत करते हुए निम्न विवरणानुसार उल्लिखित जनपदवार कुल रूo 750.00 लाख(रूo सात करोड पचास लाख मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु निम्न शर्तो के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(धनराशि रूo लाख में)

क्रo सं0	जनपद	स्वीकृत हैण्डपम्पों की संख्या	लागत प्रति हैण्डपम्प	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	देहरादून	90	1.05	94.50	90.50
2	हरिद्वार	90	0.25	22.50	22.50
3	उधमसिंह नगर	70	0.25	17.50	17.50
4	पौड़ी	80	1.97	157.60	100.00
5	टिहरी	60	1.97	118.20	80.00
6	उत्तरकाशी	30	1.97	59.10	40.00
7	चमोली	40	1.97	78.80	50.00
8	रूद्रप्रयाग	20	1.97	39.40	39.40
9	नैनीताल	50	1.97	98.50	70.00
10	बागेश्वर	30	1.97	59.10	40.00
11	अल्मोड़ा	70	1.97	137.90	100.00
12	चम्पावत	20	1.97	39.40	30.10
13	पिथौरागढ	50	1.97	98.50	70.00
	योगः–	700		1021.00	750.00

(1) यह अवश्य सुनिश्चित किया जाय कि शासनादेश संख्या 999/उन्तीस/06–2(27पेo) /2006, दिनांक 12.05.06 द्वारा 418 तथा शासनादेश

कमश..2.

संख्या 2378/उन्तीस(2)/06-2(139पे0)2006 दिनांक 18 जनवरी 2007 द्वारा 463 हैण्डपम्प अर्थात कुल 881 हैण्डपम्प स्वीकृत वर्ष 2005-06 व 2006-07 में किये जा चुके है। अतः अब स्वीकृत किये जा रहे हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन पूर्व स्वीकृत हैण्डपम्पों के स्थान पर बिल्कुल न किया जाय। यदि उसी स्थान हेतु प्रस्ताव किया जाता है तो उसके लिए धनराशि अवमुक्त न करके वैकल्पिक स्थान पर जँहा आवश्यकता हो व हैण्डपम्प न हो, वहां के लिए ही प्रस्ताव मॉगा जाय।

(2)- उपरोक्त विवरण के क्रमांक- 1, 2 एंव 3 पर उल्लिखित जनपद क्रमशः देहरादून, हरिद्वार एंव उधमसिंह नगरों में स्वीकृत किये जा रहें हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन का कार्य उत्तराखण्ड पेयजल निगम तथा शेष अन्य 10 जनपदों में उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि सम्बन्धित जनपदों में कार्यदायी संस्था के नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर तथा उस जनपद के जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल सम्बन्धित जिलों के कोषागार में प्रस्तुत करके वास्तविक आवश्यकता के अनुसार आहरित की जायेगी। आहरण से सम्बंधित वाउचर संख्या एंव दिनांक की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को तत्काल उपलब्ध करायी जाये।

(4) स्वीकृत किये जा रहें हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन शासनादेश संख्या 1016/उन्नीस/05-2-पे0/2005, दिनांक 15.05.2005 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जनपद स्तर पर मा0 सासद, मा0 विधायकगण, सम्बन्धित विभाग के अधिशासी अभियन्ता, जिला पंचायत के प्रतिनिधि एंव मुख्य विकास अधिकारी को सम्मिलित कर समिति गठित करते हुए प्राथमिकता के आधार पर मा0 विधायकगणों की संस्तुति उपरान्त निर्धारित कर ली जाय। धनराशि का व्यय अनुमोदित स्थलों/कार्यो पर ही किया जायेगा। ऐसे कार्यो पर धनराशि कदापि व्यय न की जाय जिनके सम्बन्ध में तकनीकी स्वीकृति नही है अथवा जो विवाद ग्रस्त है ।

(5) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल फाईनेन्शियल हैण्डबुक अथवा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यो पर व्यय करने से पूर्व आगणनों एव विस्तृत आगणनों पर प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के साथ-साथ सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) कार्य की समयबद्धता एंव गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाय। गुणवत्ता हेतु पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

कमश..3.

(7) उपरोक्त के अतिरिक्त हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन के सम्बंध में शासनादेश संख्या 3093/ उन्तीस/05-2(50पे0)/2004, दिनांक 03 जनवरी, 2005 एवं शासनादेश संख्या 2347/उन्तीस/05-2(50पे0)/2004, दिनांक 04.06. 2005 द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) अवमुक्त की जा रही धनराशि के 80 प्रतिशत या उससे अधिक उपभोग सुनिश्चित होनें पर शासन को प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात ही शेष धनराशि अवमुक्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.10.2007 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उक्त तिथि तक उपलब्ध करा दिया जायेगा तथा कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति एवं धनराशि के उपयोग का विवरण मासिक रूप से भी शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) उक्त योजनाओं को अब जनपदवार जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के समक्ष रखकर उक्तानुसार प्लान परिव्यय में जनपदवार अनुमोदित कराकर पूरे वर्ष हेतु अवशेष आऊटले का प्रस्ताव किया जायेगा।

(11) स्वीकृत किये जा रहे हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन राज्य में भयकर सूखे को दृष्टिगत् रखते हुए गम्भीर पेयजल संकट के कारण क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (SWAP) से आच्छदित नहीं होगा।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में अनुदान सं0-13 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2215-जलापूर्ति तथा सफाई-01-जलापूर्ति-आयोजनागत-101-शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम-05-नगरीय पेयजल -91-हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन (जिला योजना)-20-सहायक अनुदान/अंशदान /राजसहायता के नामे" डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0 138/XXVII(2)/2007 15 जून, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

क्रमश 4

संख्या– ४४३/उन्नीस(2)/07–2(139पे0)/2006,तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री जी के अवलोकनार्थ ।

2–महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

3–मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमायूँ, पौड़ी/नैनीताल।

4–समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

5–प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।

6–मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।

7–महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, पौड़ी/नैनीताल ।

8–मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम गढ़वाल/कुमॉयू

9–वित्त अनुभाग–2/वित्त,बजट सेल/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन देहरादून ।

10– स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

11– निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।

12– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून

आज्ञा से

(नवीन सिंह तड़ागी)

उप सचिव

1806071.fr